न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्रीमती वन्दना सिंघवी, आई.ए.एस

अपील संख्याः 03/2024 एल.आर.एक्ट **GCMS No. 2024/5**

1. केसूराम पुत्र स्व. श्री भानीराम जाति बाजीगर निवासी बुधवालियां तहसील रावतसर जिला हनुमानगढ़।

— अपीलान्ट

बनाम

1. शिवदत्त पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 25 एम.ओ.डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
2. श्रीचन्द पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 25 एम.ओ.डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
3. ईमीलाल पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 25 एम.ओ.डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
4. बंसीलाल पुत्र श्री बृजलाल जाति बिश्नोई निवासी चक 25 एम.ओ.डी तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ़।
5. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिए तहसीलदार पीलीबंगा।

— रेस्पोन्डेंट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक अभिभाषक अपीलांट
श्री राजकुमार व्यास अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स सं. 1 ता 4

निर्णय

दिनांक 18.09.2024

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर(सर्तकता) श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 18.01.1993 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादग्रस्त भूमि चक 8 एच.पी.डी का पत्थर नं. 10/258 (62) के किला नंबर 5, 6, 15, 16, 25, में 5 बीघा व पत्थर नंबर 9/258 (63) के किला नंबर 1, 2, 9, 10, 11, 12, 19, 20, 21, 22 में 10 बीघा कुल 15 बीघा भूमि अपीलांट के पिता भानी पुत्र भादरराम को आवंटित हुई। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने उक्त भूमि अपीलांट के पिता भानी पुत्र भादरराम से दिनांक 03.07.1969 को बैय कर ली थी। भानीराम का देहान्त दिनांक 05.08.1974 को हो गया था। भानी पुत्र भादरराम अनुसूचित जाति का व्यक्ति था। उक्त विक्रय को अति. जिला कलक्टर(सर्तकता), श्रीगंगानगर द्वारा नियमित करते हुए राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश प्रदान किए। अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 18.01.1993 की पालना में तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा इंतकाल संख्या 83 दिनांक 07.04.2001 दर्ज कर दिया। अति. जिला कलक्टर(सर्तकता), श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 18.01.1993 से व्यथित होकर अपीलांट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की।

2– विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलाधीन भूमि अपीलांट के पिता भानी पुत्र भादरराम को आवंटित हुई। जिसका सनद क्रमांक 614 दिनांक 21.06.1969 को अपीलांट के पिता भानीराम के नाम जारी की गई थी।

न्यायालय संभागीय आयुक्त बीकानेर सत्यमेव जयते

रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने उक्त भूमि अपीलांट के पिता भानी पुत्र भादरराम से दिनांक 03.07.1969 को फर्जी बैयनामें के आधार पर बैय कर ली। अपीलांट का पिता अनपढ़ होने के कारण व कानूनी ज्ञान ना होने के कारण रेस्पोडेन्टस् द्वारा अपीलांट के पिता भानीराम के नाम से फर्जी बैयनामा बिना मंजूरी लिए निष्पादित करवाया गया था। अपीलांट के पिता भादरराम अनुसूचित जाति का व्यक्ति थे। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 स्वर्ण जाति के व्यक्ति है। उक्त फर्जी बैयनामा शुरू से ही शून्य है क्योंकि अनुसूचित जाति के व्यक्ति की कृषि भूमि स्वर्ण जाति का व्यक्ति नही खरीद सकता है। अपीलांट के पिता भानीराम बाजीगर को राजपूत लिखकर बैयनामा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 को बैय की गई। उक्त बैयनामा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। अधीनस्थ न्यायालय अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर ने रेस्पोडेंट संख्या 1 ता 4 के पक्ष में निष्पादित बैयनामें को बैध मानते हुए रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के पक्ष में अपीलाधीन भूमि का नियमन कर दिया। अपीलांट के पिता भानीराम की मृत्यु 1974 में ही हो चुकी थी, मृत्तक के विरूद्ध नियमन निरस्त योग्य है। अपीलांट के पिता भानीराम की जाति अपीलाधीन भूमि के खातेदारी सनद एवं राजस्व रिकॉर्ड में बाजीगर(हरिजन) है। इस आधार पर भी नियमन अवैध है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ना तो पत्रावली का सावधानीपूर्वक अवलोकन किया और ना ही हल्का पटवारी से कब्जा काश्त बाबत् रिपोर्ट ली गई और बिना रिपोर्ट ही तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा प्रकरण तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया गया। जिसमें ना तो अपीलांट के पिता को नोटिस जारी किया गया और ना ही उन्हे सुना गया। उक्त फर्जी बैयनामें को बैध मानकर नियमन का आदेश जानी किया गया। जो खारिज योग्य है। लिहाजा अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 के द्वारा फर्जी बैयनामा के आधार पर किया गया नियमन निरस्त किया जावें। अभिभाषक अपीलांट द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं।

1 आर.आर.डी. 1992 पेज संख्या 634
2 आर.आर.डी 2002 पेज संख्या 134

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने बहस के दौरान कथन किया कि विवादित भूमि का नियमन अधीनस्थ न्यायालय रेस्पोडेन्ट 1 ता 4 के हक में किया। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 ने अपीलधीन भूमि अपीलांट के पिता भानीराम से क्रय की थी। उक्त क्रय आधार पर अति. जिला कलक्टर(सर्तकता), श्रीगंगानगर द्वारा नियमित करते हुए राजस्व अभिलेख में अंकन करने के आदेश प्रदान किए। अति. जिला कलक्टर श्रीगंगानगर के आदेश दिनांक 18.01.1993 की पालना में तहसीलदार पीलीबंगा द्वारा इंतकाल संख्या 83 दिनांक 07.04.2001 दर्ज कर दिया। विक्रेता को इस संबंध में कानूनी कार्यवाही करने का कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं क्योकि विक्रता अपनी भूमि विक्रय करके प्रतिफल राशि प्राप्त कर चुका है। अतः अब उसे वापिस भूमि नहीं लौटाई जा सकती है। बैयनामा दिनांक 03.07.1969 का है जिसे करीब 55 वर्ष हो चुके है। इसलिए अब तहसीलदार राजस्व को भी धारा 175 राजस्थान टीनेन्सी एक्ट में कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है। अपीलांट के अनुसार उसके पिता से रेस्पोडेन्ट्स ने धोखें से बैयनामा करवा लिया गया। अपीलांट को इस तथ्य की जानकारी हुई तो अपीलांट अथवा उसके पिता ने रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध आज तक कोई अपराधिक कार्यवाही नही की। अपीलांट अथवा उसके पिता ने बैयनामा को निरस्त करवाने की कार्यवाही सिविल कोर्ट में नहीं की। उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के समक्ष राजस्व रिकॉर्ड में से प्रतिवादी का नाम हटाने व उन्हे भूमि से बेदखल करने का दावा प्रस्तुत किया, जिसे न्यायालय ने खारिज

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

कर दिया। उपखण्ड अधिकारी पीलीबंगा के आदेश दिनांक 28.12.2023 के विरूद्ध अपीलांट ने कोई अपील प्रस्तुत नहीं की है। अपीलांट की अपील अपूर्ण व अस्पष्ट है, विधि विरूद्ध है, मियांद बाहर है। उसके कथन विरोधीभासी है। अतः अपीलांट की अपील निरस्त की जावें। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स द्वारा अपनी बहस में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टिांत का हवाला दिया हैं।

1 आर.आर.डी. 1994 पेज संख्या 773
2 आर.आर.डी 1995 पेज संख्या 102

4– हमने अधीनस्थ न्यायालय का उपलब्ध अभिलेख, न्यायिक दृष्टिांत तथा उभय पक्ष की बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.1993 पारित कर वादगत भूमि का नियमन कर दिया। अपीलांट के पिता भानीराम जो कि एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति था, के द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4 जो कि सवर्ण जाति के व्यक्ति है, को अपीलाधीन भूमि का विक्रय किया गया है। यदि अनुसूचित जाति के व्यक्ति द्वारा सवर्ण जाति के व्यक्ति को कृषि भूमि का विक्रय किया जाता है तो वह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 के उल्लंघन में बेची गई भूमि का विक्रय प्रारम्भ से ही शून्य होता है। फिर भी अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता), श्रीगंगानगर ने अपीलाधीन भूमि के विक्रय को नियमित कर दिया, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 42 का उल्लंघन होने के कारण न्यायोचित नहीं हैं। अत अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सर्तकता), श्रीगंगानगर अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.01.1993 को निरस्त किया जाकर प्रकरण में तहसीलदार पीलीबंगा को निर्देशित किया जाता है कि अपीलाधीन भूमि के संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 175 के अन्तर्गत सक्षम स्तर पर कार्यवाही की जावें।

5– तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

18/9/24

(वन्दना सिंघवी)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर